

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिक्षा/माध्य/लेखा/डी-2/28013/18-19

दिनांक : 22.05.18

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक पी: (11) शिक्षा-1/2017/ जयपुर दिनांक 22.03.2018 की अनुपालना में स्कूटी क्रय हेतु गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133 के बिन्दु संख्या-2 की क्रियान्विति एवं पदमाक्षी पुरस्कार योजनान्तर्गत छात्राओं के लिये स्कूटी क्रय हेतु न्यूनतम दर दाता फर्म द्वारा प्रस्तुत दर संशोधन (Negotiation) पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेने हेतु बैठक दिनांक 22.05.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

क्रमा सं०	अधिकारी का नाम व पद	कार्यालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार,	माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	9001594610
2	श्री कमलेश आबूसस्विया, शासन उप सचिव,	शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर	7665501144
3	श्री लक्ष्मीनारायण पारीक	सचिव, बालिका फाउण्डेशन, राज०, जयपुर	9413024886
4	श्रीमती देवलता, उपनिदेशक (योजना)	माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर	9481536964
5	श्री स्वामि सुन्दर, सुधार सहायक आचार्य, (प्रतिनिधि)	इंजिनियरिंग कॉलेज, बीकानेर	9214828458

दिनांक 15.05.2018 को प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार टीवीएस मोटर्स कम्पनी, लिमिटेड, चैन्नई द्वारा क्रमशः टू-व्हीलर व श्री व्हीलर सॉल्यूशंस (एचएचए) - व 51,219/- (समस्त करों सहित) प्रति यूनिट प्राप्त हुई है। राज्य स्तरीय क्रय समिति ने प्राप्त दर को उच्च माना है तथा निविदा प्रलेख के मांग-क की शर्त संख्या-19 के अनुसार न्यूनतम दर दाता फर्म टीवीएस मोटर्स कम्पनी, लिमिटेड, चैन्नई से समझौता प्रस्ताव (संशोधित दर प्रस्ताव) मांगे गये थे। फर्म द्वारा आज दिनांक 22.05.2018 को समझौता वार्ता (Negotiation) में टू-व्हीलर व श्री व्हीलर मय हेलमेट प्रति यूनिट दर क्रमशः राशि रुपये 37,900/- व 49,800/- (समस्त करों सहित) प्रस्तुत की हैं। फर्म द्वारा प्रस्तुत नेक व मॉडल TVS Pop+ Two Wheeler की मत वर्ष की स्वीकृत दर बिना हेलमेट राशि रुपये 36797/- तथा Three Wheeler बिना हेलमेट के राशि रुपये 48697/- थी। राज्य स्तरीय क्रय समिति ने फर्म द्वारा प्रस्तुत संशोधित दर को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर उचित माना है। राजस्थान लोक उपायन परिषद (विधम-2013 के नियम-68 (2) के प्रावधानानुसार एकल निविदा प्राप्त होने के कारण श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा अनुमोदित करवाया जाना आवश्यक है। राज्य स्तरीय क्रय समिति ने सर्वसम्मति से शासन स्तर से दर अनुमोदन कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है।

उपनिदेशक (योजना) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
 वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा, राज०बीकानेर
 सहायक आचार्य ईसीबी, बीकानेर
 बालिका फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर
 शासन उपसचिव माध्यमिक शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज०-जयपुर
 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज०-बीकानेर

क्रमांक- शिक्षा/माध्य/लेखा/डी-2/28013/2018-19

दिनांक 22.05.2018

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान-जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
3. उपनिदेशक (योजना) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
4. श्री लक्ष्मीनारायण पारीक, सचिव, बालिका फाउण्डेशन, राज०, बीकानेर
5. श्री स्वामि सुन्दर सुधार, प्रतिनिधि, प्राचार्य, इंजिनियरिंग कॉलेज, बीकानेर
6. प्राचार्य, इंजिनियरिंग कॉलेज बीकानेर
7. स्टॉफ ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
9. सम्बन्धित फर्म.....

विभागीय सचिव साइड पर

वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर